

INDIA NON JUDICIAL


Government of Chhattisgarh



e-Stamp

Certificate No. : IN-CG53930537927193W
Certificate Issued Date : 15-May-2024 02:52 PM
Account Reference : CSCACC (GV)/ cgcscceg07/ CG-KNPRA0689/ CG-KN
Unique Doc. Reference : SUBIN-CGCGCSCEG0791018968222127W
Purchased by : VARGHESE KURIAKOSE
Description of Document : Article 4 Affidavit
Property Description : FOR AFFIDAVIT
Consideration Price (Rs.) : 0
(Zero)
First Party : VARGHESE KURIAKOSE S O VALAMPARAMBIL MATHAI
Second Party : Not Applicable
Stamp Duty Paid By : VARGHESE KURIAKOSE S O VALAMPARAMBIL MATHAI
Stamp Duty Amount(Rs.) : 50
(Fifty only)

सत्यमेव जयते



CSC e-GOVERNANCE
SERVICE INDIA LIMITED

CG-054100202 W

Please write or type below this line

IN-CG53930537

T. K. Jain
NOTARY PUBLIC
CHARAMA (C.G.)
15/05/2024

IRID 0001459768

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcllestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.


- शपथ पत्र
- में/ हम Varghees Anzhakal पुत्र/ पुत्री/पत्नी श्री/ श्रीमती Varghees Anzhakal आयु 40
- (वर्ष) Alphonsa School (विद्यालय का नाम) को संचालित करने वाली The Catholic Diocese of Jodhpur
- (धारा के तहत समिति/ न्यास/ कंपनी का नाम) का अध्यक्ष अथवा सचिव एतद्वारा सत्यनिष्ठा से एवं निष्ठापूर्वक निम्नानुसार उल्लेख करता हूँ :
1. यह कि ----- (धारा 8 के तहत समिति / न्यास/ कंपनी का नाम) The Catholic Diocese of Jodhpur (अधिनियम का नाम, जिसके तहत समिति/ न्यास पंजीकृत है) के अंतर्गत एक पंजीकृत समिति/ न्यास है।
 2. यह कि ----- (धारा 8 के तहत समिति/ न्यास/ कंपनी का नाम) गैर मालिकाना स्वरूप की है।
 3. यह कि विद्यालय को एक सामुदायिक सेवा के रूप में चलाया जा रहा है न कि एक व्यवसाय के रूप में और विद्यालय में किसी भी तरीके में, चाहे जो भी हो, कोई वाणिज्यिक कार्य नहीं किया होता है।
 4. यह कि संस्था से प्राप्त आय के भाग को न्यास/ समिति/ कंपनी/ विद्यालय प्रबंधन समिति में किसी व्यक्ति को अथवा किसी अन्य व्यक्ति/ संस्था को नहीं दिया जा रहा है और नहीं दिया जाएगा। आवर्ती एवं गैर आवर्ती खर्चों को पूरा करने तथा विकासात्मक कार्यों में अंशदानों, मूल्यहास एवं आकस्मिकता निधि को पूरा करने के बाद बचत यदि कोई हो, का उपयोग केवल उसी विद्यालय को उन्नत बनाने में तथा उसी विद्यालय में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाएगा।
 5. यह कि विद्यालय किसी दूसरी संस्था, संगठन अथवा निकाय को नाम, मोटो, लोगो अथवा किसी अन्य गैर-शैक्षणिक क्रियाकलाप का प्रयोग करने के लिए कोई प्रभार अदा नहीं कर रहा है।
 6. यह कि संबंधन प्राप्त किए बगैर विद्यालय सी.बी.एस.ई. प्रतिमान के तहत, कक्षाओं को विशेष रूप से कक्षा IX/ X/ XI/ XII को नहीं खोलेगा और किसी भी तरीके में सी.बी.एस.ई. नाम का प्रयोग नहीं करेगा।
 7. यह कि विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं संवाददाता/ प्रबंधक ने संबंधन एवं परीक्षा उपविधियों में निहित उपबंधों और बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों की व्यक्तिगत रूप से जांच कर ली है। विद्यालय समय-समय पर जारी संबंधन एवं परीक्षा उपविधियों, निर्देशों में निहित उपबंधों और भू कानून का पालन करने के लिए वचनबद्ध है।
 8. यह कि विद्यालय, विद्यालय एवं विद्यालय के स्टाफ के संबंध में सभी सांविधिक अपेक्षाओं जैसे कि ई पी एफ, ई एस आई तथा श्रम कानूनों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

NO.
T.K
NOTARY
G-5/2
11/0

NO.
T.K. Jain
NOTARY PUBLIC 78
GHARANA (C.A.)
15/05/2024

(Signature)

9. यह कि विद्यालय, सुनिश्चित करेगा कि भवन संरक्षा, अग्निसंरक्षा, जलसंरक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई प्रमाणपत्र संबंधित नगरपालिका अथवा राज्य प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित अवधि के अनुसार समय-समय पर जारी किए जा रहे हैं अथवा उनका नवीकरण किया जा रहा है।
10. यह कि विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि कक्षाओं को शुरू करने से पहले विद्यालय के पास सभी अपेक्षित अवसंरचना उपलब्ध हैं।
11. यह कि विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि संबंधन उपविधियों में निहित उपबंधों के अनुसार पर्याप्त संख्या में अर्हक अध्यापक कक्षाएं शुरू करने से पहले विद्यालय के पास उपलब्ध हैं।
12. यह कि विद्यालय, संबंधन उपविधियों में निहित शुल्क से संबंधित उपबंधों का पालन करेगा और शुल्क के शीर्षों में किसी अवश्य प्रभारों का सहारा लिए बगैर सत्र शुरू करने से पहले विद्यार्थियों/ माता पिता को शुल्क के ब्यौरे प्रदर्शित करेगा।
13. यह कि विद्यालय किसी विद्यार्थी/ माता पिता को किसी विशेष दुकान से पुस्तकें / स्टेशनरी/ स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
14. यह कि विद्यालय पर्यावरण के संरक्षण हेतु प्रयास करने का प्रयत्न करेगा।
15. यह कि विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय संबंधन हेतु आवेदन करने से पहले सभी आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा करता है तथा संबंधन के बाद सभी अन्य शर्तों को पूरा करेगा तथा संबंधन उपविधियों में यथानिर्दिष्ट अथवा समय-समय पर अधिसूचित सभी सामान्य नियमों का पालन करेगा।
16. स्कूल प्रारम्भन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे बगैर सीबीएसई प्रतिमान कक्षाएं नहीं शुरू करेगा। उस प्रमाण पत्र का आशय यह होना चाहिए कि सीबीएसई द्वारा लगाए सभी शर्तों और सामान्य नियमों सहित संबंधन उपविधि में निहित उत्तर-संबंधन शर्तों का पालन किया गया हो।
(यदि विद्यालय का आवेदन पदांतरण श्रेणी में आता है, तो कृपया निम्नलिखित खण्ड को शपथपत्र में शामिल करें।)
17. यह कि राज्य प्रतिमान कक्षाएं IX से XII, जो सी.बी.एस.ई. के संबंधन से पहले चल रही हैं, को राज्य बोर्ड परीक्षा हेतु प्रायोजित किया जाएगा। राज्य प्रतिमान की कक्षाएं IX से XII को चरणबद्ध तरीके में बंद किया जाएगा। सी.बी.एस.ई. से संबंधन प्राप्त करने के बाद राज्य बोर्ड प्रतिमान की कक्षाओं IX से XII में दाखिला नहीं किया जाएगा। राज्य बोर्ड विद्यालय को सी.बी.एस.ई. में पदांतरण के बाद बंद किया जाएगा।



(शपथपत्र को अक्षर संरूप में और नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित होना चाहिए)

Solemnly Affirmed or Sworn
Before me by the Within-Named
T. K. Jain
NOTARY PUBLIC
CHARAMA C.G.
15/05/2024

Signature

Signature

IDENTIFIED BY
468411111/11916